प्रदेश में कोरोना वायरस (covid-19) की रोकथाम एवं उससे बचाव की तैयारियों की समीक्षा हेतु दिनांक 04.03.2020 को सायं 06:00 बजे प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः–

बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों की सूची संलग्न है।

2– बैठक में कोरोना वायरस से होने वाली बीकारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। बैठक के प्रारम्भ में यूनीसेफ के प्रतिनिधि द्वारा कोरोना वायरस का संक्षिप्त परिचय देते हुए अवगत कराया गया कि इस वायरस के लक्षण सामान्य फ्लू की भॉति है जो रिस्पायरेटरी ट्रैक को संक्रमित करते है। यह वायरस ड्रापलेट के माध्यम से फैलता है। सामान्यतः यह वायरस 01 से 02 मीटर की दूरी तक प्रभावित करता है। फिलहाल इस वायरस की कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है किन्तु साफ–सफाई एवं अन्य प्रयासों के द्वारा इससे बचा जा सकता है।

3– निदेशक, संचारी रोग द्वारा यह अवगत कराया गया कि कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु मुख्यालय में एक कन्ट्रोल रूम स्थापित है, जो 24×7 कार्य कर रहा है। प्रदेश के अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डों लखनऊ एवं वाराणसी तथा प्रदेश के नेपाल से लगी सीमाओं के इन्ट्री प्वाइंट्स पर टीमें लगायी गयी है जो प्रदेश में प्रवेश करने वाले व्यक्तिओं की निगरानी कर रही है और संदिग्ध लक्षणों वाले मरीजों की सैम्पलिंग कर रही है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में समस्त जनपदों में जिला चिकित्सालयों एवं अन्य चिकित्सालयों में 820 बेड तथा 07 मेडिकल कालेजों में 70 बेड आरक्षित किए गए है। प्रदेश में कोरोना वायरस से प्रभावित जो व्यक्ति चिन्हित हुए है उनसे तथा उनके परिवार के सदस्यों से सम्पर्क में आने वाले समस्त व्यक्तिओं की निगरानी की जा रही है। निदेशक, संचारी द्वारा मुख्यालय स्थित कन्ट्रोल रूम के लिए 04 तथा 13 अन्य जनपदों के लिए 01–01 कम्प्यूटर आपरेटर की आवश्यकता बताई गई। उक्त के अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदों में एन–95 मास्क की उपलब्धता तो है किन्तु मुख्यालय स्तर पर अब एन–95 मास्क उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन द्वारा यह सूचित किया गया कि एन–95 मास्क के लिए आर्डर दे दिए गए है। 10 हजार एन–95 मास्क मुख्यालय को दिनांक 05.03.2020 तक उपलब्ध करा दिए जाएगें।

4– प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए यह कहा गया कि कोरोना वायरस की रोकथाम एवं इस पर नियंत्रण किए जाने के संबंध में युद्ध स्तर पर कार्यवाही किया जाए और इसमें किसी भी तरह की शिथिलता एवं लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा कोराना वायरस पर नियंत्रण किए जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गएः–

1. कोराना वायरस के संबंध में मुख्यालय स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम से 10 डाक्टरों को दिनांक 31.03.2020 तक तत्काल सम्बद्ध कर दिया जाए। दिनांक 31. 03.2020 के पश्चात् इन डाक्टरों की यथा आवश्यकता सम्बद्धता के संबंध में तत्समय विचार किया जाएगा।

(कार्यवाही महानिदेशक, चि0 एवं स्वा0)

2. मुख्यालय स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम को 04 डाटा इन्ट्री आपरेटर तथा 13 जनपदों में एक–एक डाटा इन्ट्री आपरेटर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा एक माह के लिए तुरन्त उपलब्ध कराया जाए।

(कार्यवाही मिशन निदेशक, एन0एच0एम0)

3. विभिन्न जनपदों के जिला चिकित्सालयों एवं अन्य चिकित्सालयों/07 मेडिकल कालेजों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए है। इन आइसोलेशन वार्डस में जाने का रास्ता/पंजीकरण इत्यादि का स्थल पूरी तरह से अलग रखा जाए जिससे उस अस्पताल में आने वाले अन्य मरीजों मे संक्रमण की सम्भावना न रहे।

   कोरोना वायरस के दृष्टिगत आइसोलेशन में रखे जाने वाले बुजुर्ग मरीजों के लिए प्रत्येक मेडिकल कालेज में 02–02 कमरे आरक्षित कर लिए जाए।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं चि0 शिक्षा विभाग)

4. मुख्यालय स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम एवं एयरपोर्ट तथा प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी हेतु लगायी गयी टीमों के 24×7 कार्य करने की रैण्डम गहन चेकिंग की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कन्ट्रोल रूम तथा उक्त टीमें 24×7 अपनी ड्यूटी पर उपस्थित है। उक्त कन्ट्रोल रूम/टीम्स में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के फोन नम्बर शासन/मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध करा दिए जाए।

(कार्यवाही महानिदेशक, चि0 एवं स्वा0/महानिदेशक, परिवार कल्याण)

5. कोराना वायरस से बचाव एवं उसकी रोकथाम हेतु एक विज्ञापन तैयार कराकर दिनांक 05.03.2020 तक शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। विज्ञापन में कोरोना वायरस से बचाव हेतु दिशा–निर्देशों के साथ–साथ इस रोग को नियंत्रित किए जाने हेतु सरकार द्वारा की गयी तैयारियों का भी उल्लेख किया जाए जिससे जन सामान्य में इस बीमारी के कारण भय व्याप्त न हो।

(निदेशक, संचारी रोग)

6. कोराना वायरस के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति हेतु दैनिक रिपोर्ट प्रतिदिन सायं 04:45 तक शासन को उपलब्ध करा दी जाए।

(निदेशक, संचारी रोग)

7. कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरण/सामग्री (एन–95 मास्क/पी0पी0ई0 किट आदि) को जरूरतमंदों के लिए ही उपयोग किया जाए। किसी भी दशा में मास्क इत्यादि को गैर जरूरतमंद व्यक्तियों को आपसी संबंधों इत्यादि के लिए न बॉटा जाए। इस हेतु मुख्यालय/जनपद स्तर पर एन–95 मास्क/पी0पी0ई0 किट आदि की तत्काल प्रभाव से एकाउन्टिग प्रारम्भ की जाए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त सामग्री किस व्यक्ति को दी गयी है। अविवेक पूर्ण ढ़ग से गैर जरूरतमंदों को बॉटे जाने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। मुख्यालय/जनपद स्तर पर एन–95 मास्क/पी0पी0ई0 किट की मांग एवं आवश्यकता का आकलन करते हुए विवेकपूर्ण ढ़ग से इनका विवरण सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही निदेशक, संचारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी)

8. कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु आवश्यक उपकरणों/सामग्री (एन–95 मास्क आदि) की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाए।

(प्रबन्ध निदेशक, मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन)

9. कोरोना वायरस की पहचान हेतु आवश्यक वायरल ट्रान्सपोर्ट मीडिया (वी0टी0एम0) की 5000 वायल्स चिकित्सा शिक्षा विभागद्वारा निदेशक, संचारी को उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाही चिकित्सा शिक्षा विभाग)

10. विभिन्न जनपदों में कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु की जा रही तैयारियों का मुख्यालय स्तर से टीम बनाकर निरीक्षण कराया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके की संबंधित जनपदों में कोरोना वायरस पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(कार्यवाही महानिदेशक, चि0 एवं स्वा0 सेवाएं)

11. कोराना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के संबंध में सोशल मीडिया एवं अन्य संचार के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाए।

(कार्यवाही यूनीसेफ/ डब्ल्यू0एच0ओ0)

बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5
संख्या–519 /पांच–5–2020
लखनऊः दिनांकः05 मार्च, 2020

संख्या– 519 (1)/ पॉच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

6. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
8. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन, उ0प्र0, लखनऊ।
10. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
11. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
12. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0, लखनऊ।
13. प्रतिनिधि यूनीसेफ द्वारा निदेशक, संचारी।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव

Com 4 uo-vk